10 रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म0 प्र0

प्र0 क0-- /2013-14 निगरानी R 2177 II/14

श्री अवध किशोर सिंह द्वारा आज दि. 21.7.14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21.7.14, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

वृजभान सिंह पुत्र भैरोसिंह जाति लोधी
निवासी ग्राम -- गोरा सहराई तहसील
चन्देरी जिला अशोकनगर म0 प्र0

-- निगरानीकर्ता

बनाम

रघुवीरसिंह पुत्र राजधरसिंह जाति लोधी
निवासी ग्राम - गोरा सहराई तहसील
चन्देरी जिला अशोकनगर म0 प्र0 --

-- प्रतिनिगरानीकर्ता

अवधकिशोरसिंह ... 21/7/14

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 12/6/2014 पारित द्वारा तहसीलदार महोदय चन्देरी जिला अशोकनगर म0 प्र0 आधीन प्रकरण क0 32-अ-12/13-14, अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी मैमो निम्न प्रकार प्रस्तुत है--:

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2177–दो/2014 जिला–अशोकनगर

बृजभान सिंह विरूद्ध रघुवीर सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों के हस्ताक्षर
03–06–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी तहसीलदार चन्देरी, जिला–अशोकनगर के प्र.क्र. 32/अ–12/2013–14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 12–06–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी, जिला–अशोकनगर को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 23–07–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 3/6/19 सदस्य	